भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) 2017-20 का ब्यौरा

केंद्र सरकार ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2,600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी)' का कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी। बढ़े हुए कर प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और क्षेत्र की मौसमी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार से प्रतिस्पर्धा के लिए बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए सहायता मिलेगी।

चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक सामान क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज में 3 वर्ष में 3.24 लाख नई नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र में 2 लाख नौकरियों को सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान करने की क्षमता है।

भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम का ब्यौरा-

1. **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उप-योजनाः** एचआरडी उप-योजना में 15000 रू प्रति व्यक्ति की दर से बेरोजगार व्यक्तियों को नियोजन संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण, 5000 रू रूपए प्रति कर्मचारी की दर से कार्यरत कामगारों के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण तथा 2 लाख रू प्रति व्यक्ति की दर से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। कौशल विकास प्रशिक्षण घटक संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए 75% प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया है। इस उप-योजना के तहत 696 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ तीन वर्षों के दौरान 4.32 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने/कुशल बनाने, 75000 मौजूदा कर्मचारियों का कौशल उन्नयन करने तथा 150 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

2. **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-योजनाः** आईडीएलएस उप-योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30% की दर से तथा मौजूदा ईकाइयों में आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अन्य इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 20% की दर से और नई इकाइयों की स्थापना के लिए रोजगार सृजन सहित बैकएंड निवेश अनुदान/राजसहायता प्रदान करके निवेश एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इस उप-योजना के तहत 425 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ तीन वर्षों के दौरान, फुटवियर तथा सहायक सामान एवं संघटक क्षेत्र में 1000 इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

3. **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना उप-योजनाः** इस उप-योजना के तहत एफडीडीआई के कुछ मौजूदा परिसरों को "उत्कृष्टता केंद्र" में उन्नत करने के लिए फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) को सहायता प्रदान करने तथा तीन वर्षों के लिए 147 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आगामी मेगा लेदर क्लस्टरों के साथ-साथ 3 नए पूर्णतः सुसज्जित कौशल केंद्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

4. **मेगा लेदर, फुटवियर तथा सहायक सामान क्लस्टर (एमएलएफएसी) उप-योजनाः** एमएलएफएसी उप-योजना का उद्देश्य मेगा लैदर, फुटवियर तथा सहायक सामान क्लस्टर की स्थापना करके लैदर, फुटवियर तथा सहायक सामान क्षेत्र को अवसंरचना सहायता प्रदान करना है। 125 करोड़ रूपए तक सीमित अधिकतम सरकारी सहायता के साथ भूमि की लागत को छोड़कर पात्र परियोजना लागत के 50% तक ग्रेडेड सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तीन वर्षों में 3-4 नए एमएलएफएसी की सहायता के लिए 360 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

5. **चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवप्रयोग तथा पर्यावरणीय मामलों संबंधी उप-योजनाः** इस उप-योजना के तहत परियोजना लागत के 70% की दर से साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के उन्नयन/स्थापना के लिए सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस उप-योजना में राष्ट्र स्तरीय क्षेत्रगत उद्योग परिषद/संघ को सहायता प्रदान करने और चमड़ा फुटवियर तथा

सहायक सामान क्षेत्र के लिए विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है। अगले तीन वर्षों के लिए इस उप-योजना हेतु 782 करोड़ रूपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

6. **चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक सामान क्षेत्र में भारतीय ब्रांड का संवर्धन उप-योजनाः** इस उप-योजना के तहत ब्रांड संवर्धन के लिए अनुमोदित पात्र इकाइयों को सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। 3 वर्षों के लिए प्रत्येक ब्रांड, प्रत्येक वर्ष हेतु 3 करोड़ रूपए की सीमा के अध्यधीन कुल परियोजना लागत के 50% तक सरकारी सहायता का प्रस्ताव किया गया है। इस उप-योजना के तहत प्रस्तावित 90 करोड़ रूपए परिव्यय के साथ तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 भारतीय ब्रांड के संवर्धन का प्रस्ताव है।

7. **चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक सामान क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन उप-योजनाः** इस उप-योजना के तहत चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक सामान क्षेत्र में सभी नए कर्मचारियों हेतु उनके नियोजन के प्रथम 3 वर्षों के लिए ईपीएफओ में नामांकन करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि को 3.67% का नियोक्ता अंशदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। यह उप-योजना 15000/- रूपए तक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इस क्षेत्र में औपचारिक रूप से लगभग 2,00,000 रोजगार सहायता के लिए 100 करोड़ रूपए परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विशेष पैकेज में श्रम कानूनों का सरलीकरण तथा रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. **आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के कार्यक्षेत्र का विस्तार:** नए कामगारों को तीन वर्षों के लिए अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु कारखाने में सामान के विनिर्माण में कार्यरत भारतीय कंपनियों को छूट प्रदान करने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत एक कामगार द्वारा एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन नियोजन के प्रावधान में इस क्षेत्र के सामयिक स्वरूप पर विचार करते हुए फुटवियर, चमड़ा तथा सहायक सामान क्षेत्र के लिए छूट देते हुए इसे 150 दिन किया गया है।

2. **सावधि रोजगार की शुरूआत:** वैश्विक स्तर पर अधिक मात्रा में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए श्रम संबंधी मामलों के विनियामक ढांचे संबंधी मुद्दों का औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा-15 की उप-धारा (1) के तहत निश्चित अवधि के लिए रोजगार का प्रावधान करके समाधान करने का प्रस्ताव है।

*****